14जून-प्रभात खबर BH

'रेरा की बातें'. अपनी कार्यप्रणाली को बेहतर बनाने में जुटी रेरा

घर खरीदारों के हितों की रक्षा करना रेरा की सर्वोच्च प्राथमिकता : विवेक

- रेरा महाराष्ट्र के अध्यक्ष अजॉय मेहता व सदस्य महेश पाठक की टीम ने रेरा बिहार कार्यालय का किया दौरा

संवाददाता, पटना.

देशभर के रेरा (रियल इस्टेट रेगुलेटरी ऑथोरिटी) कार्यालयों के अनुभव लेकर अपनी कार्यप्रणाली को बेहतर बनाने के उद्देश्य से रेरा बिहार ने 'रेरा की बातें' नाम से एक विशेष पहल की है. इस पहल रूप में महाराष्ट्र रेरा के अध्यक्ष अजॉय मेहता और सदस्य महेश पाठक की एक टीम ने पटना का दौरा किया. इस दौरान उन्होंने रेरा अध्यक्ष विवेक कुमार सिंह के नेतृत्व वाली रेरा बिहार की टीम के साथ कार्यक्रम में भाग लिया.

स्वागत करते हुए विवेक सिंह ने कहा कि घर खरीदारों के हितों की रक्षा करना रेरा बिहार की सर्वोच्च प्राथमिकता है. हमारी सभी पहलों का उद्देश्य इस लक्ष्य को सर्वोत्तम संभव तरीके से प्राप्त करना है. इस तरह के इंटरेक्टिव कार्यक्रम के आयोजन का उद्देश्य देश भर में अच्छी प्रथाओं को पहचानना और समझना, उन्हें हमारी आवश्यकताओं के अनुसार अपनाना एवं और बिना देरी किये उन्हें बिहार में लागू करना है. उन्होंने कहा कि पहल के तहत अन्य रेरा की टीमों को भी अच्छी पद्धतियां सीखने के लिए बिहार में आमंत्रित किया जायेगा. प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए महाराष्ट्र रेरा के अध्यक्ष अजॉय मेहता ने कहा इस तरह के इंटरेक्टिव कार्यक्रम के आयोजन की एक बहुत ही अभिनव शुरुआत करने के लिए रेरा बिहार के अध्यक्ष का आभारी हूं.

इंटरेक्टिव कार्यक्रम में रेरा अध्यक्ष विवेक कुमार सिंह व अन्य.

पर्यावरण की सुरक्षा के लिए हरित भवनों की आवश्यकता पर जोर

कार्यक्रम में बिहार रेरा की सदस्य नूपुर बनर्जी ने पर्यावरण की सुरक्षा के लिए हरित भवनों की आवश्यकता पर जोर दिया. दूसरे सदस्य एसडी झा ने निबंधित परियोजनाओं की निगरानी पर जोर देते हुए कहा कि रोकथाम इलाज से बेहतर है. यदि नियमित निगरानी की जाये, तो विवादों की संख्या कम हो जायेगी. महाराष्ट्र रेरा सदस्य महेश पाठक ने कहा कि घर खरीदारों के हितों की रक्षा के लिए पारदर्शिता महत्वपूर्ण है. उन्होंने नियमों का उल्लंघन करने वाले प्रमोटर्स के खिलाफ की जा रही कार्रवाई के बारे में प्रचार-प्रसार करने पर भी जोर दिया, क्योंकि यह उन लोगों के खिलाफ निवारक के रूप में काम करेगा जो रेरा अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करने के बारे में सोचते हैं.